भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 391
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुडुचेरी को चुंगी प्रवेश कर की क्षतिपूर्ति

391 श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुडुचेरी द्वारा एकत्र किए जाने वाले चुंगी प्रवेश कर को वर्ष 1990 में केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1992 से 2016 तक पुडुचेरी सरकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रुप में प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 1996-97 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए रुपये 8.72 करोड़ की शेष क्षतिपूर्ति राशि जारी करेगी ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत सरकार ने एक नीतिगत आदेश के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1992 में चुंगीकर समाप्त कर दिया था। वर्तमान में चुंगी कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में समाहित है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अपनी विधानसभा है और वह अपना वार्षिक बजट स्वयं बनाता है। तथापि, केन्द्र सरकार अपने बजट से संघ राज्य क्षेत्र को संसाधनों के अनुपूरक के रुप में प्रतिवर्ष 'केन्द्रीय सहायता' प्रदान करती है।

******